East Angad Ngr.	A	13.40	
	D	13.55	Do.
Vikas Marg (Laxmi Nagar)	A	14.05	
	D	14 20	Do.
Kundan Nagar	A	14.30	
	D	14.45	Do
Stock Exchange	A	15.05	
	D	15.35	Do.
SPC New Dahi	A	15 50	
	D	15.55	To drop S.P. articles.
New Delhi Stg.	A	16 00	
	D	16 40	To drop mail and avail Lunch
Cannought Place (Palika Bazar)	A	16 45	
	D	17.05	To transact business
Nehru Place	A	17.35	To transact business.
	D	18 05	To pick up S.P. bag.
Kalkaji	A	18.10	
	D	18.15	To pick up S.P. bag.
South Extn.	A	18.30	
	D	18 55	To transact business.
SPC New Delhi	A	19.25	
	D	19.35	To drop S.P. Mails.
New Delhi Stg.	A	19 40	
New Delhi GPO	D	19.50	To drop staff
Garage	A	20.00	
	D	20.10	

टेलीफोन कनेक्शनों का स्थानांतरण

3697. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **संचार** मंत्री 21 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं० 183 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन को एक शहर से दूसरे शहर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने संबंधी नीति का अनुसरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानांतरणों के संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बिना किसी कारण के टेलीफोनों को स्थानांतरित न किए जाने के कारण ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पो०वी० रंगैया नायडू) : (क) अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए 1 जुलाई, 1992 से कुछ शर्तों पर अनुमति दी गई है । इस संबंध में जारी आदेश की एक प्रति विवरण के रूप में सदन पटल पर रख दी गई है । **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) चूंकि अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति केवल 1-7-92 से ही दी गई इसलिए इस प्रकार के अन्तरणों में देरी, उपभोक्ताओं को ही रही परेशानियों और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

दूर संचार विभाग के सभी मुख्य महाप्रबंधकों आदि को सम्बोधित 1-7-92 के पत्र सं० 2-30/92-पी.एच.ए. की प्रतिलिपि ।

विषय :—अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करना ।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है । इससे, यह देखा गया है कि कई वर्षों से टेलीफोन का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बहुत असुविधा होती है, अर्थात् उनके अपने स्थानांतरण के परिणामतः उन्हें नई जगह पर टेलीफोन के आबंटन के लिए फिर से प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ।

2. मामले की जांच करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि बहु-एक्सचेंज क्षेत्र के भीतर टेलीफोन शिफ्ट करवाने के लिए मौजूदा शर्तों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए ।

3. अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति से संबंधित शर्तें नीचे दी गई हैं :—

(i) आमतौर पर शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए यदि जिस एक्सचेंज में टेलीफोन शिफ्ट करना है उससे संबंधित विशिष्ट श्रेणी की रिलीज अवधि के भीतर आने वाले नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र की तारीख पड़ती हो अथवा जहां से टेलीफोन शिफ्ट करना है उस एक्सचेंज क्षेत्र में टेलीफोन पिछले 3 वर्षों के कार्य कर रहा हो, जो भी पहले हो ।

(ii) अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करवाने के इच्छुक उपभोक्ता टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए निर्धारित फार्म में उस सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थान पड़ता है, जहां से टेलीफोन शिफ्ट करवाना है और वह सक्षम अधिकारी टेलीफोन को बंद हुआ मानेगा और उपभोक्ता को एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ टेलीफोन किस तारीख से कार्य कर रहा है उस तारीख, टेलीफोन कनेक्शन के पंजीकरण संबंधी ब्यौरों का उल्लेख भी होगा । इसके बाद उपभोक्ता उस सक्षम दूरसंचार प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह स्थान पड़ता है जहां टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है । अपने आवेदन पत्र के साथ उपभोक्ता उपर्युक्त प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा । तत्पश्चात् उक्त प्राधिकारी, यदि ऊपर उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों, तो नई जगह पर उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करेगा ।

(iii) नई जगह पर टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित करने के लिए संस्थापना प्रभार दुबारा नए सिरे से देने होंगे ।

(iv) ओ०वाई०टी० श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में सक्षम दूरसंचार प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह स्थान पड़ता है जहां से टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है, उपभोक्ता को एक प्रमाणपत्र के साथ ओ०वाई० टी० डिपोजिट बकाया राशि वापिस कर देगा । शिफ्टिंग कराने वाले आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त बकाया राशि नई जगह पर जमा करनी होगी ताकि उसे ओ.वाई.टी. उपभोक्ता माना जाता रहे ।

यह अनुदेश, आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

ह०—
(आर० बी० बंसल)
सहायक महानिदेशक (पी.एच.ए.)

राजस्थान में एस.टी.डी. सुविधायें

3698. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों और गांवों को एस०टी० डी० सेवाओं से जोड़ने से संबंधी मानदंड और नीतियां क्या हैं ;